न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर सम्भाग, बीकानेर

अपील अन्तर्गत धारा 90ए.(2) राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 संशोधित 1991

अनुवान श्रीमती कैलाश खत्री पत्नी श्री प्रेमचन्द जाति खत्री निवासी 4—ई—441, जयारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर । मु.न. 4/2019 धारा 90A(2) U.I.T.

बनाम

सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषीयन्स जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7.10.19	पत्रावली प्रस्तुत हुई । अभिभाषक अपीलान्ट एवं नगर विकास न्यास के अभिभाषक श्री कैलाश व्यास उपस्थित । प्रार्थीनी श्रीमती कैलाश खत्री की ओर से अभिभाषक श्री बृजरतन व्यास ने दिनांक 25.9.2019 को हमारे समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि नगर विकास न्यास, बीकानेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.3.2019 के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी अपील को अपीलान्ट आगे चलाना नहीं चाहती है तथा विड्रा करती है । अतः अपीलान्ट की अपील जरिये विड्रावल खारिज फरमाई जावे । हमने अभिभाषक प्रार्थीनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवम् पत्रावली का अवलोकन किया । यह अपील सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर के अपीलाधीन आदेश सं0 न.वि.यास/तह./2019/15022 दिनांक 8.3.2019 जिसके द्वारा अपीलान्ट का भूखण्ड सं0 1—डी 84 जय नारायण व्यास कॉलोनी को सीज एवं सील करने का आदेश पारित किया गया, के विरुध्द प्रस्तुत होकर वास्ते बहस हेतु विचाराधीन है । अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार अपीलान्ट इस अपील को आगे नहीं चालाना चाहती एवं विड्रा करना चाहती है । अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर नगर विकास न्यास अभिभाषक द्वारा No objection किया गया है । अतः यह अपील अपीलान्ट जरिये विड्रावल इसी स्तर पर खारिज की जाती है । आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड वापिस प्रेषित हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश सुनाया गया । संभागीय आयुक्त बीकानेर	